



2026:AHC-LKO:11038-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
रिट - सी सं. - 14359/2021

ऑल सर्विसेज़ ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, योगेंद्र सिंह
के माध्यम से

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से एवं अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता	: अमित द्विवेदी, अपूर्व तिवारी, राम राज, ऋषभ राज
प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., नीरव चित्रवंशी

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया अनुपालन शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।

2. मामले पर कुछ देर बहस करने के बाद, श्री राम राज कहते हैं कि उन्हें रिट याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए साथ ही विधि के अनुसार मुकदमेबाजी के पिछले दौर में दिए गए आदेशानुसार मध्यस्थता खण्ड को लागू करने की भी स्वतन्त्रता दी जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3.तदनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ जहाँ तक विधि में अनुमत हो, रिट याचिका वापस ले ली गई मानकर खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

12 फरवरी 2026

अनुज सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.